प्रकरण संख्या 1/2022 नारायणसिंह बनाम करणसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा ने अपने संपरिवर्तन आदेश दिनांक 22.12.2011 से हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 करणसिंह के खातेदारी के आराजी नंबर 3338 रकबा 0.1173 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर अर्थात 1000 वर्गमीटर को कृषि से अकृषि में संपरिवर्तित करने आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05.01.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा गलत नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खोल देने से रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से संपरितर्वन करवा लिया, जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया। पत्रावली पर के अवलोकन से अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः न्यायहित में दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, जिससे उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी, दिनांक 15.11.2021 को जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। चूंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे ऐसी स्थिति में उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है। अतः न्यायहित में प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलान्ट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का दस्तावेज प्रस्तुत कर उसके अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर के निर्णय दिनांक 30.03.2022 की प्रमाणित फोटो प्रति, विक्रय पत्र की फोटो प्रति एवं जमाबन्दी की फोटो प्रति प्रस्तुत कर न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रिकार्ड की प्रतियां होने से न्यायहित में आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 1/2022 नारायणसिंह बनाम करणसिंह

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करने हुए अपने अपील मीमों एवं में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सम्पूर्ण भूमि का खातेदार ही नहीं है, न ही उसका कब्जा है, केवल मात्र गलत नामान्तरकरण के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय से संपरिवर्तन आदेश प्राप्त कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी नंबर 3338 मी. रकबा 0.0335 का ही मालिक है, शेष रकबा 0.0734 हैक्टर भूमि अपीलान्ट की होकर उसका कब्जा है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया एवं संपरिवर्तन आदेश पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.12.2011 निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 में विवादित आराजी नंबर 3338 रकबा 0.1173 हैक्टर अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज होकर बिकाव से नामान्तरकरण संख्या 1036 से पूरा खाता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी नंबर 3338 रकबा 0.1173 हैक्टर में से खातेदार अपीलान्ट द्वारा सिर्फ 0.0335 हैक्टर भूमि का ही विक्रय किया गया है, जबकि नामान्तरकरण पूरे खाते का रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 0.10 हैक्टर के संपरिवर्तन का जो आदेश रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में पारित किया गया है वह उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि जो नामान्तरकरण संख्या 1036 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया था, उसे अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.2022 अपास्त कर दिया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.12.2011 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार संस्थित कर एवं उन्हें सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.11.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:11 IST
Reason: SelfAttested